न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 38 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. सांवला पुत्र लच्छा का.मु. 1 / 1गोविन्दाराम पुत्र सांवलाराम 1 / 2बगदाराम पुत्र सांवलाराम 1 / 3जुगताराम पुत्र सांवलाराम 1 / 4पूंजाराम पुत्र सांवलाराम 1 / 5खेताराम पुत्र सांवलाराम 1 / 6मिरगोंदेवी पत्नी सांवलाराम जाति कुम्हार निवासी चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	बनाम	1.शंकरलाल पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार निवासी लुणाकला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2.भंवरखां पुत्र मेहबूबखां जाति कोटवाल निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 3.मोडाराम पुत्र अचलाराम 4.जवाराम पुत्र अचलाराम जाति कुम्हार निवासी चाड़ों की ढाणी तहसील सिणधरी 5.तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 22 / 2016 बअनवान शंकरलाल वगै. बनाम मोडाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भंवरलाल सारण रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 21.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांट की अनुपस्थिति में बमुकाम सिणधरी चारणान लोकअदालत न्याय आपके द्वार 2017 में तहसील सिणधरी के ग्राम गादेसरा के खेत खसरा संख्या 5 रकबा 102.04 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या .3 का 1/3 हिस्से की घोषणा कर अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता संख्या 01 व 02 के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ वाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देषित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काष्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर दुबारा भी तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक 06.10.2020 को पूर्व में तैयार विभाजन के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्राथतिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जारी किया गया तथा अपीलांट को कैम्प कोर्ट के बारे में कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई इस कारण अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी तथा बाद में एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उसके आधार पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2020 को जारी करवा दी गई जिस संबंध में भी अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति होने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उनको कोई जानकारी नहीं हो सकी तथा उसके बाद कोविड–19 महामारी के कारण अपीलांटगण अपने घर में ही रहे तथा बाहर नहीं निकले परन्तु वर्तमान में अरसा एक माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा वाद अपने पक्ष में निर्णित करवाने का कहकर मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर बेंदखल करने की धमकिया दी जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने वाद के बारे में पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की गई, तो अधिवक्ता ने प्रकरण न्यायालय से निर्णित होने की जानकारी दी गई जिस पर अपीलांटगण उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की हिदायत दी गई जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.03.2021 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त की परन्तु उसके बाद दिनांक 17.04.2021 से कोविड–19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण न्यायालय में नियमित सुनवाई न होने के कारण पेश नहीं हो सकी, ऐसे विलम्ब को क्षमा करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये। अन्तिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 28.10.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा .रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2016 बअनवान शंकरलाल वगै. बनाम मोडाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.10.2020 को यथावत रखा जाता है।

(प्रदीप सिलोनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर